

पत्रांक 15/सी 2-265/2013 - 1508
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

खालिद मिर्जा,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 31/7/2015

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील (सि0) संख्या 516/2013 से उद्भूत अवमाननावाद संख्या 262/2013 बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील (सि0) संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों के विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमानुकूल ढंग से नियुक्त सहायक/भंडारपाल/पुस्तकालय सहायक/दिनचर्या लिपिक/पत्राचार लिपिक के वेतनमान के संशोधन संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1139 दिनांक 18.06.2014, 1192 दिनांक 23.06.2014 तथा 1163 दिनांक 20.06.2014 निर्गत है। उक्त पत्रों के निर्गत होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय कर्मियों को होने वाले आर्थिक लाभों की गणना कर विभाग को दिनांक 27.07.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय पत्रांक 1441 दिनांक 21.07.2015 द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ दिनांक 28.07.2015 को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का भी निदेश था, परंतु किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। इस संदर्भ में जिन विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 28.07.2015 को उपस्थित हुए उन्हें सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक मामले में प्रतिवेदन के साथ दिनांक 06.08.2015 को पूर्वा0 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निश्चित रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

इसे अत्यावश्यक समझे। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से संबंधित है।

विश्वासभाजन,
Xo ali Mis
30-7-15
(खालिद मिर्जा)
निदेशक, उच्च शिक्षा